

**न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. मध्यप्रदेश मोती महल,
ग्वालियर (म.प्र.)**

94

अपील क्रमांक-

12018 PBR/अपील/इन्दौर/आ.अ./2018/1694

मैसर्स- माउन्ट एवरेस्ट ब्रेवरीज लिमिटेड,
मैमदी ग्राम सिमरोल, जिला इन्दौर (म.प्र.)

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

1- आबकारी आयुक्त, म.प्र. मोती महल,
ग्वालियर (म.प्र.)

2- उपायुक्त (आबकारी), सम्भागीय
उड़नदस्ता, सम्भाग- इन्दौर, जी.जी.-10,
सिक्का स्कूल के पास, स्कीम नं. 54,
विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रतिअपीलार्थीगण

अपील अन्तर्गत नियम 2(बी) अपील एण्ड रिविजन रूल्स विरुद्ध
आदेश पृष्ठांकन क्रमांक- 146 दिनांक 22.02.2018, जो आबकारी
आयुक्त म.प्र. द्वारा पारित कर कुल रकम 1,07,040/- रूपए शास्ति
जो उपायुक्त आबकारी सम्भागीय उड़नदस्ता, इन्दौर द्वारा आरोपित
की गई थी, को यथावत रखा गया है।

माननीय न्यायालय,

आलोचक शर्मा 12
12/3/18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/इंदौर/आ.अ./2018/1694

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-11-18	<p>अपीलार्थी द्वारा यह अपील नियम 2 (बी) अपील एण्ड रिवीजन रूल्स के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-2-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा दिनांक 1-7-2016 से 31-1-2017 तक 297 निर्यात परमिटों से कुल 2779920.00 बल्क लीटर बीयर का निर्यात किया गया था। उक्त परेषणों में 297 परमिटों में कुल 4960.12 बल्क लीटर अधिक मार्ग हानि पाई गई। उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी इकाई द्वारा बीयर के निर्यात में निर्धारित मार्ग हानि से 4960.12 बल्क लीटर अधिक मार्ग किया जाना पाये जाने पर उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता द्वारा अपीलार्थी को पक्ष समर्थन का अवसर दिया जाकर, दिनांक 29-6-2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी इकाई पर 1,07,040/- रुपये शास्ति अधिरोपित की गई। उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता के आदेश के विरुद्ध आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 22-2-2018 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि बीयर एक कार्बोनेटेड ड्रिंक होने से उसमें गैसीय दबाव की मात्रा अधिक होने तथा मार्ग की दूरी होने से भी मार्ग हानि हुई है। यह भी कहा गया कि बीयर की बोतलों को विभिन्न तापमानों से गुजरने के कारण एवं सभी बीयर की बोतलों की चादरों में भिन्नता होने तथा परिवहन के दौरान कांच की बोतलें एक-दूसरे से टकराने के कारण बोतलों</p>	

के टूटने से भी मार्ग हानि हुई है। तर्क में यह भी कहा गया कि अन्य राज्यों को निर्यात किये गये स्पिट एवं बीयर दोनों में अधिकतम मार्ग हानि 0.25 प्रतिशत एक समान निर्धारित किया जाना विधिसंगत नहीं है, क्योंकि स्पिट की तुलना में बीयर में कार्बोनेटेड ड्रिंक होने के कारण निर्यात में अधिक मार्ग हानि होना स्वाभाविक है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि जो मार्ग हानि हुई है, वह परिस्थितियों के कारण हुई है, इसके लिए अपीलार्थी जिम्मेदार नहीं है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर कोई विचार नहीं करने में अवैधानिकता की गई है। उनके द्वारा अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।


4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा निर्यात किये गये बीयर परेषणों में निर्धारित मार्ग हानि से अधिक मार्ग हानि होना प्रमाणित पाये जाने पर उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित है। इस आधार पर कहा गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में कोई अवैधानिकता नहीं की है। उनके द्वारा अपील निरस्त कर, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी इकाई द्वारा 297 परमिटों से बीयर के निर्यात में 4960.12 बल्क लीटर अधिक मार्ग हानि होने के संबंध में उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता द्वारा अपीलार्थी इकाई को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर, उत्तर प्राप्त किया गया है। म.प्र. बीयर नियम एवं मद्य नियम 21(1) सहपठित म.प्र. विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 16(3) में छीजन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान होने एवं दूरी कोई पैमाना नहीं होने के कारण उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता द्वारा अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं पाया गया है। अतः उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता द्वारा नियमानुसार कार्यवाही

करते हुए अपीलार्थी इकाई पर रुपये 21.58/- प्रति बल्क लीटर की दर से 1,07,040/- रुपये शास्ति अधिरोपित की गई है, जो कि उचित है, उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा उपायुक्त आबकारी संभागीय उद्दस्ता के आदेश से सहमत होते हुए अपीलार्थी इकाई द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त करते हुए उपायुक्त आबकारी संभागीय उद्दस्ता का यथावत रखने में कोई भूल नहीं की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-2-2018 स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है।


नर


(मनोज गोयल)
अध्यक्ष